रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229218
CG-DL-E-25082021-229218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 3175] | नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943 |
| No. 3175] | NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943 |


## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

**का.आ. 3465(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2194(अ) तारीख 21 मई 2021, जो भारत के राजपत्र तारीख 09 जून 2021 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में अमौसी डिपो से ए.एफ.एस. लखनऊ एयरपोर्ट, जिला. लखनऊ तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 10 जून 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और श्री मनीष कुमार नाहर, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ए० टी० एफ० परियोजना ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देष देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

**अनुसूची**

| तहसील: सरोजनी नगर | | जिला: लखनऊ | राज्य: उत्तर प्रदेश | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रं०सं० | गाँव का नाम | खसरा नं. | हेक्टेयर | एयर | वर्ग मीटर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अमौसी | 3076 | 00 | 02 | 51 |

[फा.सं. आर -11025(11)/1/2020-ओ.आर.-I / ई -32974]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2021

**S.O. 3465(E).—** Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2194(E) dated the 21st May 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 09th June 2021 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying ATF pipeline from Amausi Depot to AFS Lucknow Airport for the transportation of Petroleum Products in District-Lucknow in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 10th June 2021;

And whereas Shri Manish Kumar Nahar, Competent Authority IOCL A.T.F. Pipeline Project, Lucknow has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE**

| Tehsil:- Sarojini Nagar | | District:- Lucknow | State :- Uttar Pradesh | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl. No. | Name of the Village | Khasara No. | Hectare | Are | Sq. mtr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Amausi | 3076 | 00 | 02 | 51 |

[ F. No. R-11025(11)/1/2020-OR-I /E-32974]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.25 23:09:12 +05'30'